

राजस्व अपील संख्या 143/2021

अनवान

मो० ईशाक बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मा० जंक्शन

दिनांक 10-5-2022

पत्रावली आज पेश हुई । रेस्पों की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री नवल सिंह दहिया उपस्थित । उक्त अपील के सुनवाई क्षेत्राधिकार परिवर्तन हो जाने के कारण न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पाली से न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर में सुनवाई हेतु प्राप्त हुई तथा अपील में सुनवाई हेतु आवंटित जिलों के अनुसार उक्त अपील पाली जिले की होने से इस न्यायालय को सुनवाई हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 24-3-2021 को दर्ज रजिस्टर की गई ।

अपीलांट की ओर से इस न्यायालय हाजा में कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने पर इस न्यायालय हाजा से न्यायहित में अपीलांट के नाम दिनांक 4-8-2021 को एक रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया जाने के पश्चात भी लगभग 9 माह व्यतीत हो चुके हैं परंतु अपीलांट की ओर से न्यायालय में किसी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किया है और न ही अपीलांट की ओर से कोई उपस्थित ही हो रहे हैं । ऐसे में अपीलांट की उक्त अपील को आगे चलाना न्यायसंगत नहीं होने से अपीलांट की उक्त अपील अदम हाजरी में खारीज की जाती है । पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जाये । निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया ।

बति. सम्भागीय जायुक्त
जोधपुर